निर्माण– PACS परियोजना का समाचार पत्र

वंचित मज़दूरो की आवाज़

जुलाई 2014 – सितम्बर 2014

निर्माण– PACS कार्यकर्त्ता

सी–484, मिलेनियम अपार्टमेन्ट, सैक्टर–18, रोहिणी, दिल्ली – 85

निर्माण– PACS परियोजना का समाचार पत्र

वंचित मज़दूरो की आवाज़

स्वाति मैडम के द्वारा अवार्ड प्राप्त करते हुए

नमिता जी के साथ

निर्माण– PACS परियोजना का समाचार पत्र

वंचित मज़दूरो की आवाज़

जननी सुरक्षा योजना

पृष्ठभूमि

मुख्य मंत्री स्वास्थ्य पंचायत योजना के कियान्ययन कार्यक्रम हेतु 2005 में किया एक मिशन योजना के तहत मिशन के अन्तर्गत जिले में निम्न सुविधाऐं उपलब्ध कराई जा रही है।

- गर्भवती महिलाओ की पहचान कर उनका पंजीयन कराना।
- टिटनेस के बचाव के लिए टी.टी के के दो टीके लगवाना।
- प्रसव पूर्व जांच।

पेट की जांच
ऊंचाई जांच
बी.पी की जांच
खून की जांच
पेशाब की जांच
वजन की जांच

कुल नौ जांच में सभी सुविधाएं स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध है। इसके अन्तर्गत जननी योजना भी लाया गया।

यह योजना राज्य में माता मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्यु की दरों में कमी लाने के साथ ही संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने की योजना है।

इस योजना की एक विशेष शर्त है कि प्रसव एक प्रशिक्षित हाथों से ही किया जाए। प्रसव स्वास्थ्य केन्द्रों में ही किया जाए।

प्रसव का स्थान

प्रसव का स्थान 04 केन्द्रों में ही हो तो ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा –

1. उप स्वास्थ्य केन्द्र
2. प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
3. सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र
4. जिला अस्पताल

उप स्वास्थ्य केन्द्र

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 24 घंटे के बाद घर जाने की अनुमति मिल जाती है। छुट्टी होते ही 1400 रु का चेक मिल जाता है जिसे 3 माह के अन्दर भुनाना पड़ता है। अगर बच्चे के स्वास्थ्य में कुद गिरावट आती है तो 45 दिनो तक निशुल्क इलाज किया जाता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ जिला अस्पताल

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव होने पर माता एवं नवजात को 03 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा जाता है। ठीक इस प्रकार जिला अस्पताल में भी यह प्रक्रिया है इन तीनों दिनों में भोजन चाय नाश्ता माता को मुफ्त मिलता है। छुट्टी होने पर 1400 रु का चेक दिया जाता है। इस चेक की अवधि भी 03 माह तक होती है मितानिन (आशा) को 680 रू. प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

सुविधाएं

प्रसव के लिए माता को 108 से लया जाता है तथा प्रसव के पश्चात घर 108 से ही भेजा जाता है।

शहरी क्षेत्र

शहरी क्षेत्र में भी प्रसव हाने पर माता एवं नवजात को 03 दिनो तक अस्पताल में भर्ती रखा जाता है। ठीक इस प्रकार जिला अस्पताल में भी यह प्रक्रिया है दन तीनों दिनों में भोजन चाय नाश्ता माता को मुफ्त मिलता है। छुट्टी होने पर 1400 रू. का चेक दिया जाता है। इस चेक की अवधि भी 03 माह होती है मितानिन (आशा) को 1000 रू. प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

– गांव व शहर की महिलाओं को बेहतर प्रसव सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को शासन द्वारा प्रारंभ किया। जिसके अन्तर्गत महिला को प्रसव के उपरान्त मातृत्व सहायता हेतु नगद राशि दी जाती है। ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों की महिलाएं संस्थागत प्रसव कराकर प्रसव संबंधी गंभीर समस्याओ से बचें। साथ ही उनसे जुड़ी नियमित (आशा) को कार्य आधारित प्रेरणा देते हुए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान भी किया गया है।

उद्देश्य

बेहतर प्रसव सेवा उपलब्ध हो
मातृ मृत्युदर कम हो
शिशु मृत्युदर में कमी आ सके
प्रसव पश्चात महिलाओं को आर्थिक मदद मिल सके।

सबसे पहले योजना में सिर्फ गरीबी रेखा की महिलाओं को ही इस योजना में लिया गया था। लेकिन इस योजना में संशोधन किया गया है अब सभी वर्ग के लोगो को इस योजना में शामिल किया गया है।

इस योजना में घर पर सिर्फ 02 एवं जीवित बच्चों पर इसका लाभ मिलेगा व बीपीएल परिवार को ही इसका लाभ मिलेगा।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है –

1. ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं को योजना की पूरी जानकरी हो।
2. सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकेन्द्रों में दक्ष चिकित्सक तथा सहायक दल उपलब्ध हो।
3. सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के संभवित तिथि के आधार पर संस्थागत प्रसव हेतु रेफर किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन में आ रही है समस्याओं के समाधान के लिए समुदाय तथा विभाग की ओर से प्रयास हो।
4. मितानिन तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ए. न.सी.पंजीयन की जानकारी हो। इस योजना का लाभ सभी पात्र लोगो को पहुँच सके इसके लिए सभी महिलाओ को ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक में योजना के बारे जानकारी देवें। ग्राम सभा में ग्राम स्वास्थ्य एव स्वच्छता समिति द्वारा इस योजना पर खुली चर्चा अवश्य करायी जानी चाहिए।

धरसीबा ब्लाक.
रायपुर जिले की जानकरी

जुलाई

अस्पताल प्रसव	-	278
बी.पी.एल घर प्रसव	-	22
जी.एस.वाई केस	-	300
जी.एस.वाई पेमेन्ट	-	125
जी.एस.वाई पेंन्डिग पेमेन्ट	-	171

अगस्त

अस्पताल प्रसव	-	320
बी.पी.एल घर प्रसव	-	30
जी.एस.वाई केस	-	350
जी.एस.वाई पेमेन्ट	-	150
जी.एस.वाई पेंन्डिग पेमेन्ट	-	198

सितम्बर

अस्पताल प्रसव	-	345
बी.पी.एल घर प्रसव	-	43
जी.एस.वाई केस	-	388
जी.एस.वाई पेमेन्ट	-	184
जी.एस.वाई पेंन्डिग पेमेन्ट	-	203

राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना

निर्धनमत परिवारों की स्वास्थ समस्याओं के निवारण के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना को प्रारम्भ किया। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारो को 30000 रू. का स्वास्थ बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाता है। यह कागज रहित परियोजना है।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002 में सूचीबद्ध किये सभी बी.पी.एल परिवारों का उपचार पंजीकृत निजी व सरकारी अस्पतालों में करवाने की सुविधा उपलब्ध होती है। योजना के अन्तर्गत दी जाने का उपचार पंजीकृत निजी व सरकारी अस्पतालों में करवाने की सुविधा उपलब्ध होती है।

योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाएं -

- ★ इस योजना के तहत बी.पी.एल. परिवार को वर्ष में 30 रू. देने पर 30000 रू. का स्वास्य बीमा दिया जाता है।
- ★ स्मार्ट कार्ड के माध्यम से पूरे देश में कहीं भी पंजीकृत अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है।
- ★ अस्पताल में भर्ती हाने के समय/दौरान तथा डिस्चार्ज हाने पर कोई भी भुगतान नही करना पड़ता।
- ★ अस्पताल में भर्ती होने के दौरान पैथोलौजी जांच निदान व आवश्यक दवाएं और भोजन की सुविधा दी जाती है।
- ★ इस योजना में लगभग सभी बीमारियो का इलाज होता है परन्तु नशा जनित रोग, केवल दांत का इलाज, नसबन्दी, टीकाकरण आत्महत्या ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें भर्ती रहने की जरूरत नही रहती, को शामिल नही किया जा सकता।
- अस्पताल में भर्ती होने के दौरान तथा डिस्चार्ज हाने के बाद 5 दिन की दवा मरी ज को दी जाती है।
- मरीज को अस्पताल आने जाने के लिए 100 रू. का भुगतान अस्पताल करता है। यह खर्च वर्ष में 1000 रू. तक ही दिया जा सकता है। यह राशि लाभार्थी के 30000 रू. बीमा राशि से ही दी जाती है।

स्मार्ट कार्ड कैसे प्राप्त करें-

1. योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002 की बी.पी.ण्ल सूची में सम्मलित परिवारों का स्मार्ट कार्ड बनाया जा सकता है।
2. स्मार्ट कार्ड पंजीकरण के दिन ही उपलब्ध कराया जाता है।
3. लाभार्थी को इसका नवीनीकरण हर वर्ष 30 रू. देकर करवाना पड़ता है।
4. स्मार्ट कार्ड के लिए मुखिया तथा अन्य चार सदस्यों के फोटो तथा अंगूठे का निशान लिया जाता है।
5. परिवार को दो स्मार्ट कार्ड जारी किये जा सकते है, जिसमें 30000/- की राशी को परिवार की सहमति से दो भागों में कर दिया जाता है। उन परिवारों के लिए जिनका मुखिया परिवार से दूर रहता है।
6. स्मार्ट कार्ड खराब होने या खो जाने परजिला अस्पताल पर बने सहायता कार्यलय (District Kiosk) से 60 रू. देकर पुनः बनवाया जा सकता है। District Kiosk पर ही स्मार्ट कार्ड में हुई गलतियां भी ठीक करायी जा सकती ह। तथा मुखिया किसी का नाम भी जुड़वा सकता है।

अस्पताल में भर्ती होने के बाद लाभ प्राप्त कैसे करें –

1. हर पंजीकृत अस्पताल में RSBY help desk होता है। Help Desk पर जाऐं।
2. स्मार्ट कार्ड दिखएं तथा अंगूठे का निशान दे।
3. इसके बाद पर्ची दी जाती है, जिसे डाक्टर को देना होता है। इसके बाद मरीज का ईलाज शुरू किया जाता है।
4. प्रत्येक बीमारी के लिए अलग-अलग निर्धारित पैकेज अंकित होती है।
5. योजना के अन्तर्गत अस्पतालों में सर्जरी, कमरा एवं जांच का मूल्य, दवाईयां व मरीज के लिए भोजन आदि की सुविधा शामिल है।
6. इन सभी सुविधाओं के लाभ के लिए मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है ।
7. अस्पताल से डिस्चार्ज होते समय मरीज को डिस्चार्ज पर्ची अवश्य लेनी चाहिए।

कार्ड बनवाते समय ध्यान देने वाली बाते –

1. स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए परिवार के मुखिय समेत सभी पांच सदस्य नामांकन केन्द्र पहुच कर अपना विवरण दर्ज कराएं।
2. नामांकन के दौरान सभी विवरण सही-सही दर्ज कराऐ जैसे- नाम, उम्र, लिंग आदि।
3. निर्धारित शुल्क 30 रू. देकर तुरन्त कार्ड प्राप्त करें।
4. FKO (आशा/आंगनवाणी) द्वारा दी गयी नामांकन पर्ची कार्ड बनवाते समय अवश्य ले जाएं।

इलाज के लिए ध्यान देने वाली बाते –

1. अस्पताल जाते समय अपने साथ स्मार्ट कार्ड अवश्य ले जाएं।
2. अस्पताल के आर.एस.बी.वाई. सहायता केन्द्र पर जाकर कार्ड के माध्यम से पंजीकरण कराएं।
3. इलाज के दौरान सभी प्रकार की जांच दवाएं, बेड शुल्क एवं मरीज का भोजन निःशुल्क अस्पताल द्वारा प्रदान किया जाता है।
4. अस्पताल से छुट्टी के समय 100 रू. यात्रा भत्ता तथा डाक्टर की सलाह अनुसार पांच दिन की दवा अवश्य प्राप्त करें।

स्मार्ट कार्ड संबंधित किसी भी प्रकार की जानकरी व सहायता के लिए टोल फ्री न० का उपयोग करें।

Tall Free No.- 1800 1800 4444
राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना

सूचना का अधिकार (आर.टी.आई)

ग्राम-गांधी ग्राम कल्ली पश्चिम जहां वंचित समुदाय के लोगो का एक बहुत बड़ा भाग निवास करता है। जो सपेरा समाज के लोग है। जिनकी आजीविका शहरों व गांवो में सांपो को लोगों को दिखाकर अर्थात् गा-बजाकर लोगों का मनोरंजन करते है। जो सरकार की तमाम योजनाओं से मीलों दूर है। यहां तक की वे अपने पैतृक गांव की जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे है। जो सरकार द्वारा ही पुलिस लाइन के लिए अधिग्रहण किया गया है। इन सब तमाम समस्याओं को लेकर इस समुदाय के बीच एक संगठन का निर्माण फरवरी - 2013 में किया गया और इस संगठन के माध्यम से इस समाज की लड़ाई में रंग लाया और एक आर.टी.आई. इन सब तमाम मुद्दों पर चरणबद्ध तरीके से, कन्हैया नाथ जो कि संगठन के अध्यक्ष है उनके द्वारा सरकार से सूचना मांगी गई और सरकार द्वारा जांच कराई गई जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके गांव को स्थानांतरित नही किया जाएगा और समुचित गांव का विकास कराया जाएगा।

अध्यक्ष, सपेरा मजदूर
जनसंघर्ष समिति, गांधी ग्राम लखनऊ

वृद्ध पुरूष एवं महिला (गांधी ग्राम बंगाली खेड़ा) कल्ली पश्चिम लखनऊ

क्र.सं.	नाम	पिता / पति का नाम	उम्र	लखनऊ राशन कार्ड
1.	वेजनाथ	स्व. तैयारी नाथ	80 वर्ष	ए.पी.एल-733311
2.	निहालनाथ	स्व. ख्याली नाथ	65 वर्ष	बी.पी.एल-082311
3.	विजयनाथ	स्व. सद्रीनाथ	62 वर्ष	बी.पी.एल-082316
4.	विद्यानाथ	स्व० मेवानाथ	70 वर्ष	ए.पी.एल (एक बार पेंशन मिली है। चार साल से पेंशन नही मिली)
5.	जाफरनाथ	स्व. अन्तीनाथ	65 वर्ष	अत्योदय - एक बार पेंशन
6.	प्रेमनाथ	स्व. अन्तीनाथ	75 वर्ष	बी.पी.एल. - एक बार पेंशन
7.	सारनाथ	स्व. मेवानाथ	77 वर्ष	बी.पी.एल. 082813
8.	रामसिंह नाथ	स्व. ज्ञान नाथ	65 वर्ष	राशन कार्ड नही है
9.	संगलनाथ	स्व. फौजीनाथ	62 वर्ष	राशन कार्ड नही है
10.	कुशम नाथ	स्व. लखत नाथ	65 वर्ष	अन्त्योदय
11.	सागरनाथ	स्व. फाती नाथ	65 वर्ष	राशन कार्ड नही है
12.	भेषनाथ	स्व. फौजी नाथ	65 वर्ष	राशन कार्ड नही है
13.	शैलानी नाथ	स्व. फौजी नाथ	70 वर्ष	राशन कार्ड नही है
14.	रामसिंह नाथ	स्व. चम्पा नाथ	60 वर्ष	राशन कार्ड नही है
15.	प्रताप सिंह	स्व. अन्तीनाथ	65 वर्ष	राशन कार्ड नही है

विधवा महिला (गांधी ग्राम बंगाली खेड़ा) कल्ली पश्चिम लखनऊ

क्र.सं.	नाम	पिता / पति का नाम	उम्र	लखनऊ राशन कार्ड
5.	झूमपती	स्व. मछन्दरनाथ	60 वर्ष	अन्त्योदय - 42609
6.	सुनीता	स्व. पप्पू नाथ	40 वर्ष	बी.पी.एल -42662
7.	शान्ति देवी	स्व. धरमनाथ	45 वर्ष	अन्त्योदय - चार वर्ष से पेंशन नही मिल रही है। एक बार पेंशन मिली है।
8.	कोलापती	स्व. राजू नाथ	55 वर्ष	ए.पी.एल.
9.	धनवर्ती देवी	स्व. हुलासीनाथ	70 वर्ष	अत्योदय - एक बार पेंशन
10.	विमला देवी	स्व. बद्री नाथ	60 वर्ष	बी.पी.एल. - एक बार पेंयान
11.	लक्ष्मी देवी	स्व चम्पा नाथ	60 वर्ष	बी.पी.एल. 082813
12.	मुरहिया देवी	स्व. अन्तीनाथ	70 वर्ष	राशन कार्ड नही है
13.	मान्ती देवी	स्व. गरीब नाथ	70 वर्ष	राशन कार्ड नही है
14.	छोबी देवी	स्व. सिद्धनाथ	70 वर्ष	अन्त्योदय

वंचित मज़दूरो की आवाज़

केस स्टडी

आज हमारे देश को आजाद हुए लगभग 67 वर्ष हो गए है परन्तु आज भी हमारे देश की कुछ समाज से वंचित लोग अपनी जिन्दगी का गुजारा हाशिए पर कर रहे है। हम बात उस गांव की ओर कर रहे है जो आज भी अपनी विकास के दीपक की रोशनी को ढूंढ रहे है। हम आपको एक ऐसे ही गांव से रू-ब-रू कराने जा रहे है। जो लखनरू जनपद के सरोजनी नगर ब्लाक की कल्ली पश्चिम के मजरे ''गांधी ग्राम'' का है। जहां इस गांव में सौ प्रतिशत बंगाली जाति के लोग निवास करते है। इनकी संख्या लगभग 80 परिवारों की है। जिनकी जनसंख्या लगभग 500 लोगों की है। हम इन लोगों के विकास पर अगर चर्चा करें तो ये आज भी सरकार के विकास की सभी योजनाओं से दूर खड़े है। अर्थात् इन गांव के विकास के सम्पर्क लिए बनाए गए समिति के सदस्यों के अनुसार न तो इनको किसी प्रकार की मदद पंचायत स्तर पर मिल रही है न ही केन्द्र सरकार के माध्यम से। अर्थात् अगर हम देखें तो इनके साथ भेदभाव भी हो रहा है। जबकि 80 प्रतिशज परिवार बी.पी.एल. के अन्तर्गत है। तब भी ये विकास से दूर है।

हम इस गांव के विकास को कई भागों में बांट कर देख सकते ह।

गांव की प्रमुख समस्या

- इन के पैतृक गांव की जमीन अर्थात् सेट व निवास स्थान का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया गया है जिनकी लड़ाई गांव के लोग लड़ रहे है।
- गांव में पेयजल व शौचालय की व्यवस्था नही है। (केवल एक हैडपंप) लगा है।
- ग्राव के अन्दर रास्ते की व्यवस्था नही है।

नोट : यह गांव पैतृक है और आजादी के पहले का है।

शिक्षा

इस गांव में 14 साल से कम के उम्र के गरीब 200 बच्चे है जिनके शिक्षा की कोई व्यवस्था नही है। आर.टी.ई. के मानक के अनुसार यहां पर आंगनवाणी होना चाहिए यह भी नही है।

रोजगार

जमीनो के अधिग्रहण होने के बाद रोगार भी छिन गया । ये लोग जानवरों का व्यवसाय करते थे। जिनके चारे की व्यवस्था व देखभाल महिलाएं करती थीं और पुरूष शहरों व गांवो में सांप दिखने का कार्य करते थे परन्तु अब सिर्फ सांप दिखाने का कार्य हो रहा है और इनकी आने वाली पीड़ियो में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है।

मनरेगा में इनको रोजगार नहीं दिया जाता है।

पेंशन

बृद्ध पेंशन में लगभग गांव के 20 बुजुर्ग पात्र पाए जाते है। परन्तु किसी भी व्यक्ति को पेंशन नही मिल रही है। जिनके नामों की सूची संलग्न कर रहे है।

विकलांगता पेंशन

इसी गांव में वक्तू नाथ जो पैर से विकलांग है और 80 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण है न तो इन्हें पेंशन मिल रही है। न तो ट्राई साईकिल मिली और ये अपने घर के मुखिया भी है। इनके परिवार चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता है और परिवार की ए.पी.एल. राशन कार्ड दिया गया है जिससे इन्हें राशन भी नही मिलता।

विधवा पेंशन

इस गांव में लगभग 10 विधवा महिलांएं है जो पेंशन की पात्र है । परन्तु किसी भी महिला को पेंशन नही मिल रही है। जिनके नामों की सूची संलग्न कर रहें है।

मनरेगा अधिनियम 2005

लगभग एक दशक पहले मनरेगा अधिनियम (2005) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के एक सदस्त (महिला या पुरूष) मजदूरो को 100 दिन (एक साल में) के रोजगार की गारंटी दी गई है। तथा समय पर मजदूरो के भुगतान (15 दिन के भीतर को प्रावधान है।

निर्माण- पेक्स की भागीदारी से योजना की सफलता पर एक जमीनी अध्ययन

वर्ष 2003 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कानून लागू होकर देश भर के ग्रामीण क्षेत्रो के मजदूरो को 100 दिन के रोजगार की गारंटी लागू हुई। इस कानून को लागू करने का मूल उद्देश्य यह था कि :-

1. ग्रामीण मजदूरो को अपने ही गांव में काम मिले।
2. गांव में स्थाई परिसम्पत्तियो का सृजन हो और पलायन रूके।
3. महिला मजदूरो को समान काम व समान मजदूरी मिले।
4. इसके अतिरिक्त कई ऐसे प्रावधान जो कि मजदूरो की हकदारी को बुलन्द करते हों- को मद्देनजर रखते हुए हितो को संरक्षण करने वाला कानून बने।

निर्माण-पेक्स टीम ने उपरोक्त मुद्द्वो को ध्यान में रखते हुए उत्तरप्रदेश में लखनऊ और हाथरस, मध्यप्रदेश में रायसेन, और छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले का ग्रामीण क्षेत्रो में जमीनी स्तर पर चर्चाएं की।

प्रदेश/ब्लाक

समूह नें व प्रत्यक्ष रूप से खुली चर्चा निम्न आधारों पर की :-

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एक बुनियादी प्रावधान है।
2. काम के लिए आवेदन / पंजीकरण/ पावती।
3. व्यवस्थागत मामलों से सम्बन्धित
4. काम मिलने की उम्मीद
5. जॉब कार्ड मिलना
6. मजदूरी के भुगतान की स्थिति बैंक, डाकघर
7. नरेगस का मौजूदा भुगतान, क्रियान्वयन, बेरोजगारी भत्ते और मजदूरी मुआवजा के अधिकार को पनपने दे रहा है या नहीं।
8. नरेगा आरम्भ होने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूरों का पलायन में गिरावट आई है या नहीं।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रो के स्थानीय नेता, प्रधान, पुलिस, टीचर, ठेकेदार और अन्य व्यक्तियों के साथ इस योजना की एडवोकेसी मीटिंग की गई।

अध्ययन से निष्कर्ष

ग्रामीण मजदूरों को जॉब कार्ड प्राप्त हुए और उन्हें अपने ही गांव में काम मिलने आरम्भ हुआ तथा पलायन रुका।

महिला मजदूरों को अपने ही गांव में काम मिलने पर अपने घर व बच्चों की देखभाल में सुविधा मिली।

बेरोजगारी भत्ता व मजदूरी भत्तों के भुगतान की अनियमितता नें भी कमी आई।

ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक स्थिति में भी कुछ सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त निर्माण- पेक्स की भागीदारी के पश्चात निर्मार्ण-पेक्स की टीम ने ग्रामीण मजदुरों को भवन एवं सन्निर्माण कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जिसमे बोर्ड द्वारा सामाजिक सुरक्षा इत्यादि का लाभ भी मिलता रहै।

वंचित मज़दूरो की आवाज़

भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 भारत का कानून

भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 भारत का एक ऐसा पहला कानून है जिसकी विशेषताएं अन्य सभी श्रम कानूनों से अलग करती है जैसे :-

- इसे शासन ने नही बल्कि निर्माण मजदूरों व यूनितानों ने लगातार सजग रहकर व धरना प्रदर्शन करके लागू करवाया।
- यह कानून संगठित क्षेत्र के ढांचे के आधार पर नियोक्ता व मजदूरों के सम्बन्धो के ध्यान में रखे हुए सामाजिक सुरक्षा के लिए बनवाया गया है।
- निर्माण मजदुरों की न्यूनतम मजदुरी व उसका समय पर भुगतान सुचारू हो लागू हुआ है।
- मजदरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए ठेकेदारों, गिल्डर से सैस के रूप में धन एकत्र करने की मैनेजमेंट पर जिम्मेदारी डाली गई है।
- मैनेजमेंट की जगह लेने के लिए त्रिपक्षीस बोर्ड की बात स्वीकार की गई है। यह त्रिपक्षीय बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधि, ठेकेदारों व मजदूरों की बराबर की भागीदारी की भी बात स्वीकार हुई है।

त्रिपक्षीय बोर्ड का कार्य ठेकेदारों से सेस एकत्र करना, मजदूरों का अधिकार से अधिक पंजीकरण करना व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निर्माण मजदूरों को देना आदि है। तथा एकत्र हुए सेस को सही प्रकार से उपयोग करना भी शामिल है। यह त्रिपक्षीय बोर्ड एकत्र हुए कोष का ट्रस्टी है इसलिए उपरोक्त सभी जिम्मेदारियां बोर्ड पर डाली गई है।

निर्माण-पेक्स टीम का लक्ष्य

मनरेगा मजदरों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर कल्ऱाण बोर्ड में पंजीकरण की जानकारी व उसके लाभ की जानकारी देना अथवा पंजीकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के साथ-साथ मजदूरों के हित लाभ दिलवाने को व्यवस्थित करना भी है। निर्माण मजदूरों का पंजीकरण कर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है जिसमें प्रमुख है :-

1. दुर्घटना होने पर तुरन्त सहायता दिलवाना।
2. पेंशन (बुढ़ापे अथवा विकलांगता)।
3. अपना मकान बनाने के लिए ऋण।
4. सामूहिक बीमा।
5. निर्माण मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता।
6. पंजीकरण निर्माण मजदूर और उस पर निर्भर व्यक्तियों के गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्च।।
7. मातृत्व लाभ और अन्य कल्याणकारी योजनाएं।

पैक्स-निर्माण परियोजना के अन्तर्गत सरोजनी नगर जनपद लखनऊ के अन्तर्गत उत्तरप्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बार्ड के अन्तर्गत उत्तरप्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत 250 लोगों का अर्थात् 250 निर्माण मजदूरों का पंजीरकण कराया गया जिसमें 19 निर्माण मजदूरों को बोर्ड द्वारा योजनाओं में लाभान्वित कराया गया।

सफलता की कहानी

1. मै सजीवन लाल निवासी गढ़ी का मूल निवासी हूं और में निर्माण मजदूर का कार्य करता हूं तथा मैं निर्माण मजदूर बोर्ड में पंजीकृत हूं और मुझे बोर्ड द्वारा 3000 हजार रूपये की सहायता शिशु हित लाभ योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुई।

   सजीवन लाल,
   ग्राम - गढ़ी (मवैयॉ), जिला लखनऊ

2. मै मलबान, निवासी गढ़ी का मूल निवासी हूं और मै निर्माण मजदूर का कार्य करता हूं और निर्माण मजदूर बोर्ड में पंजीकृत हूं। मुझे बोर्ड द्वारा 3000 रू.की शिशु हित लाभ योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हुआ।

   मलबान
   ग्राम - गढ़ी (मवैयॉ), जिला लखनऊ

वंचित मज़दूरो की आवाज़

मनरेगा से आया समाज में बदलाव :-

मनरेगा का योगदान, मेरे जीवन में

मैं किशन पिता हुब्बलाल, ब्लौक मुरसान के नगला गोपी गांव में अपने परिवार सहित रहता हूँ। मेरे परिवार में पत्नी व तीन बच्चे रहते हैं। मैं गांव के बाहर जाकर मजदूरी करता था। कभी-कभी काम न मिलने पर वापस आना पडता था। अप्रैल 2013 में किशन सी0बी0ओ0 से जुडा और मनरेगा की जानकारी हासिल की, और मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाया। जॉब कार्ड बनने के बाद मैंने लिखित में काम मांगा और काम करने लगा। मनरेगा में काम करने से पहले घर का खर्च भी चलाना मुकिल होता था। परन्तु जब से मनरेगा में काम किया है तब से बाहर काम न मिलने पर मनरेगा में गांव में ही काम कर लेता हूँ। जिससे पूरे वर्श काम मिल जाता है। मनरेगा में भी 5 दिनों का काम मिल गया है।

एक वर्ष काम करने के पश्चात मनरेगा की ही कमाई से एक दुधारू बकरी खरीदी है जिससे मेरे बच्चे को दूध मिलता है और बच्चों का पालन पोशण भली भांति हो रहा है। एक बकरी से ही भवि य में कई बकरियां हो जायेंगी और दूध बेचने का रोजगार भी शुरू कर लूँगा। मेरे के लिए मनरेगा किसी साथी से कम नहीं है। जब भी काम करना होता है, काम मांग लेता हूँ।

गरीबों का साथी, मेरा मनरेगा

मैं सजीवन लाल पुत्र श्री कालका प्रसाद निवासी परवर पश्चिम माजरा-गढी ब्लॉक-सरोजिनी नगर जिला लखनऊ का निवासी हूँ। मेरा मनरेगा का जॉब कार्ड बना है। एक दिन निर्माण संस्था से कुछ लोग हमारे गांव में आये और बैठक कर मनरेगा के बारे में बताया। पहले हम लोग काम नहीं मांगते थे। परन्तु जब पैक्स के साथियों ने बताया कि मनरेगा में काम मांगने पर मिलता है । और बैठक में ही लिखित में काम मांगना बताया ।

अगले दिन हम सी0 बी0 ओ0 के लोगों ने लिखित में काम का आवेदन प्रधान को दिया प्रधान जी ने अगले दस दिन बाद काम पर आने को कहा । इस तरह हम लोगों को साल में 85 दिन का काम मिल गया। मनरेगा में काम करने से पहले हमारे घर पर छप्पर डला था। बरसात के दिनों में पानी टपकता था। जीना बेहाल था। कभी-कभी छप्पर से कीडे निकलने लगते, बच्चे कीडों से डरे सहमे रहते थे।

इस काम के भुगतान मिलने के पश्चात मैंने अपने घर के छप्पर को हटाकर टिन शेड लगवाया। जिससे मेरे परिवार ने बारिश में टपकते छप्पर से निजात पायी। अब हम बच्चों को छोडकर काम के लिए निश्चित होकर जा सकते हैं ।

अब मेरा बेटा भी काम करने योग्य हो गया है और इस वर्ष वह भी मेरे साथ मनरेगा में काम करने जाता है, जिससे मेरे परिवार की आमदनी बढ गयी है। मैं और मेरा परिवार मनरेगा को मजदूरों का साथी मानता है।

वंचित मज़दूरो की आवाज़

'' अब डरने की क्या बात , स्वास्थ्य बीमा हो साथ ''

शहर से दूर हमारा गांव, नाम है भोपतपुर, ब्लाक- सासनी, हाथरस और गांव से दूर अच्छे अस्पताल। ऊपर से ये गरीबी। बीमार होने पर टोना टोटका, जडी आदि से ही इलाज करना मजबूरी थी।

मां बीमार थी, पथरी का आपरेशन होना था। लेकिन पैसे की कमी से इलाज कराना सम्भव नहीं हो पा रहा था। बाबूजी ने बचाये पैसे बहन की शादी में लगा दिये थे। और बीमारी जो बढती ही जा रही थी। भूमि न होने पर कर्जा भी नहीं मिल पा रहा था। अब सिर्फ घर ही बचा था, जो गिरबी रखा जा सकता था।

मैं यह सोच ही रहा था कि तभी रमेश आया और बोला : - अनीश चल, आर0एस0बी0वाई0 की बैठक में चलते हैं।

आर0एस0बी0वाई0 ..... यह क्या होता है ? मैंने पूछा।

रमेश- अरे ! इससे तेरी मां का आपरेशन फ्री हो सकता है। स्मार्ट कार्ड से।

जाना तो नहीं चाहता था, परन्तु मां की हालत अब देखी नहीं जा रही थी। सोचा फायद ऐसा हो जाय, अपना स्मार्ट कार्ड और चल पडा बैठक की ओर।

मनोहर चाचा के चबूतरे पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्माण संस्था से मुकेश भैय्या और सतेन्द्र भैय्या ने आर0एस0बी0वाई0 के बारे में जानकारी दी।

मैने जब अपना कार्ड दिखाया तो मुकेश भैय्या बोले :- अनीश, कार्ड का रिन्युअल तो हो चुका है। तुम इससे तीस हजार तक का इलाज करा सकते हो।

मैं मां का इलाज अच्छे अस्पताल में कराना चाहता था। इसलिए अगले ही दिन मैने टोल फ्री नं0 पर फोन करके आगरा शहर मे निजी अस्पतालों के बारे में पता किया और मां को लेकर ''स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पीटल, आगरा '' गया। परन्तु आर0एस0बी0वाई0 हैल्प डैस्क पर जाकर अपने का कार्ड का सत्यापन कराया तो पता चला कि मां का नाम गलत था।

अगले दिन जिला कियोस्क पर जाकर नाम सही कराया और इलाज के लिए आगरा चले गये। स्पर्श हॉस्पीटल में मां का इलाज कराया। इलाज में 21,000 रू0 का खर्चा आया, जो स्मार्ट कार्ड से भुगतान कर लिया गया।

मां अब ठीक है। मां पूछती है कि बेटा तुझे यह जानकारी कहॉ से मिली ? तो मैं निर्माण संस्था की बातें करते नहीं थकता। आर0एस0बी0वाई0 योजना हमारे जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आई है। यह योजना बीमारी में गरीबों की साथी है। मैं भी अब आर0एस0बी0वाई0 समूह का अध्यक्ष हूँ और लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी देता तथा इसके फायदे बताता हूँ।